।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 2701 /12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 23/01 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।

157/102A
2-2/2018

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.957 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/03/2016/एफ0सी0/1423 दिनांक 24.11.2017**

महोदय,

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उपयुक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तो के तहत सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार धनराशि हेतु मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा हैः–

1. **शर्त सं0–01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.914 है0 ग्राम भेरणी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 25,11,533.00 (रू0 पचीस लाख ग्यारह हजार पांच सौ तेंतीस) मात्र जमा की जानी है।

प्रत्यावर्तित भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु भूमि (है0)	धनराशि (प्रति है0)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
1	2	3
9.914 है0	2,53,332.00	25,11,533.00

2. **शर्त सं0–02** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 32,56,749.00(रू बतीस लाख छप्पन हजार सात सौ उनपचास) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 x 4)
1	2	3	4	5
V	0.2 (Open forest)	6,57,000.00	4.957	32,56,749.00

3. **शर्त सं0–03** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वता प्रस्तुत करनी होगी।
4. **शर्त सं0 04** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. **शर्त सं0–05** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण एवं उपचार कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारो, Central Verge एवं परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्य पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation करने की बचन वद्वता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide hard copy of revised enumeration list of trees.
7. State Govt. will provide hard copy of CA scheme for 9.914 ha.
8. मलवा निस्तारण एवं वृक्षारोपण हेतु मांग अलग से प्रेषित की जायेगी।

अतः आप मांग पत्र को ऑनलाईन अपलोड कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकरी वन संरक्षण देहरादून द्वारा सत्यापित होकर चालान जनरेट होने पर शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि उक्त चालान के माध्यम से जमा करते हुए तथा अन्य शर्तो के अनुपालन की वचनबद्वता से सम्बन्धित अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन–लाईन भी अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पंत्राकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को उनके पत्र सं0 1796/FP/UK/Road/16239/2015 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

1/2/18